रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 1977/माघ 4, 1898
No. 19] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 1977/MAGHA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th January 1977

SUBJECT—*Import of edible oils and oil seeds: Import Policy for April,* 1976—*March,* 1977.

No. 7-ITC(PN)/77.—Attention is invited to Ministry of Commerce Public Notice No. 6-ITC(PN)/77, dated the 17th January, 1977, in terms of which import of specified items of edible oils or oil seeds is to be allowed liberally to actual users engaged in the manufacturing, refining or blending of edible oils or marketing of edible oils, for direct human consumption.

2. It is clarified that import of Palm oil referred to in para 2(vi) of the aforesaid public notice will also cover import of "Palm Oleine".

3 In terms of the aforesaid pubic notice, it has been provided that the facility for import of edible oils and oil seeds is not available for Vanaspati Industry In this connection, it is clarified that units which are engaged in the manufacture of vanaspati and are also engaged in refining and blending and/or marketing of edible oils for direct use, will be eligible for import of edible oils. Actual users in this category should furnish an undertaking, on a plain paper, to the effect that the imported edible oils would not be used for the manufacture of vanaspati, but would be used only for blending, refining and/or marketing for direct use, alongwith their applications for import licences.

4 As provided in the aforesaid Public Notice No 6-ITC(PN)/77, dated the 17th January, 1977, applications are to be made to the regional licensing authorities concerned under whose jurisdiction the applicant unit falls. In this connection, it may be stated that actual users borne on the books of DGTD and eligible to apply for licences for import of edible oils/oil seeds should submit their applications to the regional licensing authorities concerned under whose jurisdiction the applicant unit falls

A S. GILL,
Chief Controller of Imports & Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1977

विषय —खाद्य तेलो और तेलहन का आयात अप्रैल 1976–मार्च 1977 के लिए आयात नीति ।

सं०-7/आई टी सी (पी एम)/77.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सख्या 6–आई टी सी (पीएन)/77, दिनाक 17 जनवरी, 1977 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, खाद्य तेलो या तेलहनो की विशिष्ट मदो के आयात की अनुमति सीधे मानवीय उपभोग के लिए खाद्य तेलों के निर्माण, शोधन या सम्मिश्रण या खाद्य तेलो के विपणन में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओ को उदारता से दी जानी है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 2 (6) मे उल्लिखित ताड़ के तेल मे "पाम ओलीन" का आयात भी शामिल होगा ।

3. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार, यह व्यवस्था की गई है कि खाद्य तेलो और तेलहनो के आयात के लिए वनस्पति उद्योग के लिए सुविधा उपलब्ध नही है । इस सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि जो एकक वनस्पति के निर्माण में लगे हुए है और सीधे उपयोग के लिए खाद्य तेलो के शोधन और सम्मिश्रण और/या विपणन मे भी लगे हुए है, वे खाद्य तेल के आयात के लिए पात्र होगे । इस श्रेणी के वास्तविक उपयोक्ताओ को आयात लाइसेंस के लिए अपने आवेदन पत्रो के साथ कोरे कागज पर एक वचन पत्र इस सम्बन्ध मे भेजना चाहिए कि आयात किए गए खाद्य तेल का वनस्पति के निर्माण के लिए उपयोग नही किया जाएगा, परन्तु उसका उपयोग केवल सम्मिश्रण, शोधन और/या सीधे उपयोग के लिए विपणन के लिए किया जाएगा ।

4. जैसा कि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना सख्या 6–आई टी सी (पी एन)/77, दिनाक 17 जनवरी, 1977 में दिया गया है, आवेदन पत्र उन सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियो को देने चाहिए जिन के अधिकार क्षेत्र मे आवेदक एकक शामिल है । इस सम्बन्ध मे यह उल्लेख किया जाता है कि महानिदेशक तकनीकी विकास की सूची मे शामिल और खाद्य तेलो/तेलहनो के आयात के लिए लाइसेंसो के लिए आवेदन करने के लिए पात्र वास्तविक उपयोक्ताओ को उन सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियो को अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने चाहिएं जिनके अधिकार क्षेत्र मे आवेदक एकक आते है ।

ए० एस० गिल,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977